दिनांक 26.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 31/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 सिटीजन ब्राण्ड की घड़ी बरामद**

दिनांक 26.02.2025 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद व थाना इन्दिरापुरम की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसुन्धरा रेड लाइट के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 सिटीजन ब्राण्ड की घड़ी बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इन्दिरापुरम पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

इस सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल कुमार निवासी वार्ड नं0–1 कस्बा व थाना घोडासहन जनपद मोतिहारी पूर्वी चम्पारण बिहार।

बरामदगी

1– चोरी की 01 सिटीजन ब्राण्ड की घड़ी।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25/26.02.2025 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अहमदपुर रौनी तिराहा के पास चेकिंग के दौरान बदमाश

की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुल्तान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कन्नौज व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुल्तान निवासी सित्रवासा चक थाना कैंट जनपद गुना मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–05 हजार रूपये नगद।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 26.02.2025 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बसन्तपुर बांगर जाने वाली सड़क के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सोनू उर्फ निजाम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, धोखाधड़ी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू उर्फ निजाम निवासी नई बस्ती पट्टी मुडाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—58

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.02.2025 को थाना सेक्टर—58 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोल चक्कर सेक्टर—62 से पुरस्कार घोषित अभियुक्त मुलायम उर्फ धनन्जय को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–24 पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, गैगेस्टर एक्ट के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मुलायम उर्फ धनन्जय निवासी ग्राम जगगिरधारी बहट्टा थाना भौरे जनपद गोपालगंज बिहार।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 26.02.2025 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दिउरिया मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अमरपाल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अमरपाल निवासी ग्राम शाहगंज थाना रोजा जनपद शाहजहॉपुर।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना सेहरामऊ

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 60 हजार 200 रूपये नगद**
- **लूट के 02 मोबाइल फोन**
- **03 अन्य मोबाइल फोन**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अन्य मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 26.02.2025 को थाना सेहरामऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंदरिया तिराहे से ग्राम आटाखुर्द को जाने वाली सड़क के पास से 05 अभियुक्तों 1–गुलाम शाबिर 2–धीर 3–मोहित 4–श्याम 5–अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 60 हजार 200 रूपये नगद, लूट के 02 मोबाइल फोन, 03 अन्य मोबाइल फोन, लूट की 01 मोटर साइकिल, 01 अन्य मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 25.02.2025 को थाना सेहरामऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेहरामऊ पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेहरामऊ पुलिस टीम द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलाम शाबिर निवासी टुरमुखी थाना मंझिला जनपद हरदोई।

2–धीर निवासी ग्राम उल्लापुर थाना मंझिला जनपद हरदोई।

3–मोहित ग्राम पुरवा पिपरिया थाना शाहाबाद जनपद हरदोई।

4–श्याम निवासी ग्राम उल्लापुर थाना मंझिला जनपद हरदोई।

5–अभियुक्ता।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 60 हजार 200 रूपये नगद।

2–लूट के 02 मोबाइल फोन।

3–03 अन्य मोबाइल फोन।

4–लूट की 01 मोटर साइकिल।

5–01 अन्य मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)

6–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>जनपद गोरखपुर/थाना रामगढ़ताल</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25.02.2025 की रात्रि को थाना रामगढ़ताल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में पाण्डेय कालोनी पामपैराडाईज के पीछे से अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 04 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामगढ़ताल पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1– 04 दो पहिया वाहन।

2– 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना चिल्हिया

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 14 हजार 810 रूपये नगद**
- **08 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 25.02.2025 को थाना चिल्हिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेकनार पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–विकास 2–विनय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 14 हजार 810 रूपये नगद, 08 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.02.2025 को थाना चिल्हिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना चिल्हिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी बचगंगपुर (पचगंगपुर) थाना बृजमनगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

2–विनय निवासी जगेशरपुर थाना बृजमनगंज जनपद सिद्धार्थनगर।

बरामदगी

1—लूट के 14 हजार 810 रूपये नगद।

2—08 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद आजमगढ़/थाना सिधारी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/छिनैती की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी/छिनैती के लगभग 05 लाख 78 हजार रूपये (कीमत) की पीली धातु**
- **चोरी/छिनैती के 02 लाख 09 हजार 400 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 26.02.2025 को थाना सिधारी, थाना तरवां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टेऊखर इटौरा मार्ग पुलिया के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—कमलेश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—गोविन्द सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/छिनैती के लगभग 05 लाख 78 हजार रूपये (कीमत) की पीली धातु, चोरी/छिनैती के 02 लाख 09 हजार 400 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना सिधारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये, आभूषण चोरी/छिनैती की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिधारी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कमलेश निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

2—गोविन्द निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी

1—चोरी/छिनैती के लगभग 05 लाख 78 हजार रूपये (कीमत) की पीली धातु।

2—चोरी/छिनैती के 02 लाख 09 हजार 400 रूपये नगद।

3—01 मोबाइल फोन।

4—01 मोटर साइकिल।

5—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना मेडिकल

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के धन बिकी के 11 हजार 250 रूपये नगद**
- **01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25.02.2025 को थाना मेडिकल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान जागृति बिहार एक्सटेंशन में बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मेहताब उर्फ चिकना घायल हो गया,

जिसे अभियुक्त 2–शाहिद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के धन बिक्री के 11 हजार 250 रूपये नगद, 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मेहताब उर्फ चिकना के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग व अभियुक्त शाहिद के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर हत्या, ड़कैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मेडिकल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मेहताब उर्फ चिकना निवासी अहमद नगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2–शाहिद निवासी मोहल्ला किदवई नगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूट के धन बिक्री के 11 हजार 250 रूपये नगद।

2–01 दो पहिया वाहन।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कासगंज/थाना गंजडुण्डवारा

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **04 जीवित 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे**
- **04 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 25.02.2025 की रात्रि थाना गंजडुण्डवारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बनैल के जंगल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों

1–एवन सिंह 2–पंकज उर्फ प्रशान्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे, 04 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पंकज उर्फ प्रशान्त के विरूद्ध जनपद कासगंज के थाना गंजडुण्डवारा पर आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गंजडुण्डवारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–एवन सिंह निवासी मोहल्ला गोविन्दपुरी कस्बा व थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।

2–पंकज उर्फ प्रशान्त निवासी बनैल थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–04 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–04 जीवित 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे।

4–04 हजार रूपये नगद आदि।

एस0टी0एफ0–भाड़े पर हत्या करने वाला, लॉरेन्स बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य एवं दो वर्ष से पैरोल से फरार चल रहा, जनपद गाजियाबाद से हत्या की घटना में वांछित रू0 1,00,000/– एवं हरियाणा राज्य से रू0 पॉच हजार का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी जीतू उर्फ जितेन्द्र एक साहसिक मुठभेड़ में घायल, इलाज के दौरान चिकित्सकों ने किया मृत घोषित।

दिनाक 25/26–02–2025 की रात्रि में एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर एवं जनपद मेरठ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में भाड़े पर हत्या करने वाला, लॉरेन्स बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य एवं दो वर्ष से पैरोल से फरार चल रहा, जनपद गाजियाबाद से हत्या की

घटना में वांछित रू0 1,00,000/– एवं हरियाणा राज्य से रू0 5,000/– का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी जीतू उर्फ जितेन्द्र, जनपद मेरठ के थाना मुढाली क्षेत्र में एक साहसिक मुठभेड़ में घायल हुआ, जिसको चिकित्सकों द्वारा उपचार के दौरान मृत घोषित किया गया।

<u>मृतक अभियुक्त का विवरणः–</u>

जीतू उर्फ जितेन्द्र निवासी ग्राम आसौंदा सिवान, थाना आसौंदा, जनपद झज्जर, हरियाणा।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 01 अदद कारबाइन 09 एमएम मय मैगजीन।

2– 22 अदद जिन्दा कारतूस 09 एमएम ।

3– 04 अदद खोखा कारतूस 09 एमएम

4– 01 अदद पिस्टल .32 बोर।

5– 01 अदद मैगजीन मय 06 खोखा कारतूस.32 बोर ।

6– 01 अदद मोटर साईकिल (डिस्कवर बिना नम्बर की)

7– 01 अदद बैंग (काले रंग का)

<u>घटना का दिनांक/समय/स्थानः–</u>

दिनांक 25/26–02–2025 की रात्रि समय लगभग 01.24 बजे रात्रि, ग्राम शाहिफयाबाद लौटी थाना मुढाली, जनपद मेरठ क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 22–10–2023 को मृतक अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र द्वारा पैसे लेकर अपने साथियों के साथ जनपद गाजियाबाद के थाना टीला मोड क्षेत्र के निवासी प्रमोद कसाना उर्फ लालू नामक व्यक्ति की 06 गोली मारकर दुर्दान्त हत्या कर दी गयी थी। इस जघन्य घटना के सम्बन्ध में थाना टीला मोड, जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 611/2023 धारा 147/148/149/302/404/120बी/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत है और इसी अभियोग में मृतक अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र, उपरोक्त वर्ष– 2023 से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के स्तर से दिनांक 12–07–2024 को रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था।

प्रकरण चुनौतीपूर्ण होने के कारण उपरोक्त घटना में वांछित चल रहे ईनामी अपराधी तथा अन्य पुरस्कार घोषित अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही करने हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को निर्देशित किया गया था। जिसके अनुक्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, फील्ड इकाई, गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम उप निरीक्षक श्री केषव शांडिल्य के नेतृत्व मे दिनांक 25/26–02–2025 की रात्रि में जनपद मेरठ के थाना मुढाली क्षेत्र में आपराधिक अभिसूचना संकलन के सम्बन्ध में भ्रमणषील थी तो उसी दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को मुखबिर एवं विष्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियाबाद से रू0 एक लाख एवं हरियाणा राज्य से रू0 पॉच हजार का ईनामी अपराधी जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ओम प्रकाष निवासी गॉव असौदा सिवान, थाना असौदा, जनपद झज्जर, हरियाणा अपने साथी के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए ग्राम शाफियाबाद लौटी के रास्ते से मुढाली, जनपद मेरठ की तरफ आने वाला है। एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा तत्काल इस सूचना को थाना प्रभारी मुढाली, जनपद मेरठ से साझा किया गया और संयुक्त रूप से त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर गाढ़ाबन्दी की गई तो उसी दौरान चैकिंग के समय एक मोटर साइकिल पर दो व्यक्ति ग्राम शाफियाबाद लौटी की तरफ से आते दिखाई दिये दिखाई दिये। एसटीएफ टीम द्वारा मोटर साइकिल सवार को रूकने के लिए कहा गया परन्तु मोटर साइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने हथियार निकाल कर एसटीएफ टीम को निशाना बनाते हुए जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर एसटीएफ टीम द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने के कारण घायल हो गया और उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु सी0एच0सी0 खरखौदा, मेरठ भेजा गया जहॉ पर

चिकित्सकों द्वारा परीक्षणोपरान्त उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक बदमाश की पहचान जितेन्द्र उर्फ जीतू, उपरोक्त के रूप में हुई, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी भी हुई। इस साहसिक मुठभेड़ में दो एसटीएफ कर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें भी उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ टीम द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का प्रदर्शन किया गया तथा मा0 न्यायालयों तथा मा0 मानवाधिकार आयोग के निर्देषों का अक्षरषः पालन किया गया।

मृतक अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र, (उम्र लगभग 42 वर्ष) उपरोक्त की आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि इस अभियुक्त ने वर्ष 2016 से अपराध की दुनिया में प्रवेश किया था। इस कुख्यात अभियुक्त के विरूद्ध हत्या, डकैती, लूट, आदि के अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है। उपरोक्त मृतक अपराधी जीतू उर्फ जितेन्द्र द्वारा कारित की गयी अपराधिक घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो इस अभियुक्त के द्वारा निम्न घटनाऐं कारित करना प्रकाष में आया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः–

1– वर्ष 2016 में दिल्ली के थाना कंझवाला क्षेत्र में लूट की घटना कारित की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना कंझवाला दिल्ली पर मु0अ0स0 293/16 धारा 392/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र वांछित चल रहा था तथा **दिनांक 18–09–2024 को इसके विरूद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी** की कार्यवाही की गयी है।

2– वर्ष 2016 में बहादुरगढ़, झज्जर हरियाणा क्षेत्र में चोरी की घटना कारित की गयी जिसके सम्बन्ध में थाना सदर हरियाणा पर मु0अ0स0 333/16 धारा 379 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है और इस अभियोग में अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र को माननीय न्यायालय से **दिनांक 29–08–2018 को पॉच साल की सजा हुई** थी।

3– वर्ष 2016 में बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा क्षेत्र में डकैती की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना सदर, हरियाणा पर मु0अ0स0 341/16 धारा

392/397/342/ 379 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ और इस अभियोग में अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक **29–08–2018 को दस वर्ष की सजा** से दण्डित किया गया है।

4– वर्ष 2016 में बहादुरगढ़, झज्जर हरियाणा क्षेत्र में ग्राम असौदा के सरंपच और उसके पिता की हत्या की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर हरियाणा पर मु0अ0सं0 376/16 धारा 449/302/120बी भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है । इस अभियोग में अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र वर्ष 2016 में जेल गया था और इस डबल हत्याकाण्ड में अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र को माननीय न्यायाल से दिनांक 03–02–2018 को **आजीवन कारावास की सजा हुई थी** तथा इसी अभियोग में यह अभियुक्त वर्ष 2023 में माननीय न्यायालस से पैरोल पर आया था परन्तु यह पैरोल जम्प करके फरार हो गया था और फरारी के दौरान यह लॉरेन्स बिष्नोई एवं रोहित गौदारा गैंग के साथ काम करने लगा।

5– वर्ष 2016 में ही झज्जर हरियाणा क्षेत्र में लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर, हरियाणा पर मु0अ0सं0 697/16 धारा 394/34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

6– दिनांक 06–04–2023 को रोहतक में कार लूट की घटना कारित करी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कालानोर, रोहतक पर मु0अ0स0ं 135/23 धारा 392/397/34 भादवि एवं 3/25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस अभियोग में अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र की गिरफ्तारी पर दिनांक 19–07–2023 को पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक हरियाणा के स्तर से रू0 5,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

मृतक अपराधी जीतू उर्फ जितेन्द्र, उपरोक्त की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में भी जानकारी की जा रही है।

मृतक अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र, उक्त के विरूद्व निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है।

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	293/16	392/34 भादवि	कंझवाला	दिल्ली
2	333/16	379 ए भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	सदर	झज्जर हरियाणा
3	341/16	392/397/342/379 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	सदर	झज्जर हरियाणा
4	376/16	449/302/120बी भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	सदर	झज्जर हरियाणा
5	394/16	382/24/411 भादवि	विकासपुरी	दिल्ली
6	609/16	398/401 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	सदर	झज्जर हरियाणा
7	697/16	394/34 भादवि एवं 25 आम्स एक्ट	सदर	झज्जर हरियाणा
8	611/23	147/148/149/302/34 भादवि	टीलामोड	गाजियाबाद
9	135/23	392/397/34 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	कालानोर	रोहतक हरियाणा
10	40/25	109बीएनएस एवं 3/25/27 आम्स एक्ट	मुढाली	मेरठ

उपरोक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना मुढाली, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0: 40/25 धारा 109 बी0एन0एस0 एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0—चीनी नागरिकों के साथ संगठित गिरोह बनाकर डिजिटल अरेस्ट, एवं गेमिंग, ट्रेडिंग एप के माध्यम से साईबार फ्राड करने वाले 02 शातिर अपराधी एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 25—02—2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को चीनी नागरिकों के साथ संगठित गिरोह बनाकर डिजिटल अरेस्ट करना एवं गेमिंग, ट्रेडिंग एप के माध्यम से साईबार फ्राड करने वाले 02 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— रोहन अग्रवाल पुत्र स्व0 हेमन्त अग्रवाल निवासी लूकर गंज टीटीबी नगर, थाना खुल्दाबाद, जनपद प्रयागराज।

2— हर्षवर्धन गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी 100/22 संजय गॉधी नगर, थाना नौबस्ता, कानपुर नगर।

बरामदगी—

1— 14 अदद डेबिट/क्रेडिट कार्ड

2— 03 आधार कार्ड

3— 01 पैन कार्ड

4— 01 ड्राईविंग लाईसेन्स

5— 01 पासपोर्ट

6— 07 अदद मोबाइल फोन

7— रू0 4,00,000/— नगद ।

8— साइबर अपराध से सम्बन्धित कई अन्य दस्तावेज ।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

कार्यालय एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र दिनांक 25—02—2025 समय 19.05 बजे।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12—02—2025 को एस0टी0एफ0 यूनिट गौतमबुद्धनगर द्वारा साईबर अपराधियों द्वारा भारतीय नागरिकों को फर्जी रूप से डिजीटल अरेस्ट करके उनके साथ धोखाधडी करने एवं गेमिंग व ट्रेडिग एप के माध्यम से धोखाधडी करके धन अर्जित करने तथा ठगी करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिकों के म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 03 अभियुक्त मोहन सिंह उर्फ रोकी एवं संयम जैन तथा अरमान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनके विरूद्व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 98/2025 धारा 318, 338, 340, 61(2), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 66 डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। इसी क्रम में शेष अपराधियों की

पतारसी–सुरागरसी/गिरफ्तारी हेतु श्री राजकुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ नोएडा, गौतमबुद्धनगर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार एवं उप निरीक्षक श्री सनत कुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही पूर्व से की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को दिनांक 25–02–2025 को मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि प्रदेश एवं देश के विभिन्न व्यक्तियों के साथ डिजीटल अरेस्ट करके जैसे ट्रैडिंग एवं गेमिंग आदि का झांसा देकर धोखाधडी करने वाले गैग के सक्रिय सदस्य ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एस0टी0एफ0 की टीम द्वारा गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर उपरोक्त दोनो व्यक्तियों को पकड़कर पूछताछ हेतु एस0टी0एफ0 कार्यालय गौतमबुद्धनगर लाया गया जहॉ सम्पूर्ण पूछताछ के उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त हर्ष वर्धन की उम्र 28 साल है तथा वह कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर रहा है तथा अभियुक्त रोहन अग्रवाल की उम्र 29 साल है और वह इण्टर पास है। अभियुक्त रोहन की सट्टा खेलने के दौरान जनपद कानपुर में आमिर नामक व्यक्ति से मुलाकात हुयी थी, जो कमीशन बेस पर चायनीज नागरिकों को म्यूल एकाउण्ट उपलब्ध कराता है। उसी से काम सीखकर टेलीग्राम चैनल पर विभिन्न चायनीज हैडलस से सम्पर्क में आ गया और उन्हे भारी संख्या में कमीशन बेस पर म्यूल एकाउन्ट उपलब्ध कराने लगा। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग टेलीग्राम–ऐप पर चीनी नागरिकों के सम्पर्क में रहते हैं, जो देश के बाहर बैठकर डिजीटल अरेस्ट, गेमिंग, लोनिंग ऐप के माध्यम से साइबर फ्रॉड को अंजाम देते हैं तथा साइबर अपराधों के लिए एपीआई के माध्यम से बैक खातों को कनेक्ट करके उन खातों में अपराध से अर्जित धन मंगाते हैं। यह लोग अपने कई अन्य साथियों के माध्यम से, जो पूरे देश में फैले हुए हैं, कमीशन पर कम्पनी अथवा फर्म के करन्ट एकाउन्ट खाता धारकों से प्राप्त कर लेते हैं तथा कहीं होटल आदि में बैठकर ऐसे खातों को लॉगिन करके एपीआई टूल के माध्यम से विदेश में बैठे साइबर अपराधियों

को उपलब्ध करा देते हैं। खाता धारक का मोबाइल नम्बर जो बैंक में रजिस्टर्ड होता है, को एक फोन में डालकर उस फोन में Chienese dragon message app इन्सटाल कर देते हैं। इस एप्लीकेशन से बैकिंगं लेनदेन का ओटीपी, जो उस मोबाइल नम्बर पर आते हैं, वह विदेश में बैठे साईबर अपराधियों को भी दिखाई देते हैं, जिसको वह ऑटोमेटिक रूप से खाते से धन ट्रान्सफर करने के लिए एपीआई टूल से कनक्ट कर देते हैं। एपीआई टूल से उस खाते से दूसरे खाते में धन ट्रान्सफर करने की सुविधा प्राप्त होती है। साइबर अपराध एवं ठगी से अर्जित ऐसा धन पूर्व से निर्धारित किये गये बैंक खातों में तत्काल ट्रान्सफर हो जाता है। विदेष में बैठे गैंग के सदस्य इन खातों में भेजे गये धन से क्रिप्टों करेन्सी USDT खरीदते हैं तथा यूएसडीटी में ही भारत में अपने गैंग के सक्रिय सदस्यों को हिस्सा बांटते हैं।

अभियुक्त रोहन ने बताया कि नवम्बर 2024 से अब तक चायनीज हैडलर के द्वारा उसके यूएसडीटी वालेट में 388000 यूएसडीटी (लगभग 34900000/— भारतीय करेन्सी) ट्रान्सफर किया गया है। अभियुक्त रोहन द्वारा भारत में इस यूएसडीटी को हवाला के माध्यम से कैश में बदल लिया जाता है जिसमें से रोहन के द्वारा गैग से जुडे म्यूल एकाउन्ट उपलब्ध कराने वाले सदस्यों को भी बांटा जाता है। इन अभियुक्तों से ऐसे लगभग 150 म्यूल एकाउन्ट की जानकारी प्राप्त हुई है जिनको इस संगठित अपराधियों द्वारा साइबर अपराध करने के लिए तथा अपराध से अर्जित धन को ट्रान्सफर कराने के लिए प्रयोग किया गया है और **इन उपरोक्त म्यूल एकाउन्ट के विरूद्व उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा सहित देश भर में NCRP पोर्टल पर 471 से अधिक साइबर फ्रॉड की शिकायत पीडितों के द्वारा दर्ज करायी गयी है,** जिनके सम्बन्ध में ओर अधिक गहराई से छानबीन की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये उपरोक्त दोनो अभियुक्तों को थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 98/2025 धारा 318, 338, 340, 61(2), 3(5) बी0एन0एस0 एवं 66 डी आईटी एक्ट के अभियोग में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्जनपदीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह की 01 तस्कर 02 किलो 900 ग्राम अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 29 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 26–02–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्जनपदीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह की 01 सदस्य को 02 किलो 900 ग्राम अफीम (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 29 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ता को विवरणः–

1. रिजवाना बेगम पत्नी अय्यूब खां देवीपुर, भमोरा जनपद बरेली ।

बरामदगीः–

1. 02 किलो 900 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य 29 लाख रूपये)
2. 01 अदद मोबाइल फोन कीपैड
3. 1,100/–रूपये नकद
4. 01 अदद आधार कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–

सुभाष नगर पुलिया के पास रेलवे के खण्डहर क्वार्टरों के पास थाना सुभाष नगर जनपद बरेली। दिनांक–26–02–2025 समय–14.41 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में उ0नि0 राशिद अली, मु0आ0 गिरिजेश पोसवाल, मु0आ0 शिवओम पाठक,मु0आ0 नितिन, मु0आ0 संदीप आ0 संजय यादव, एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि 01 महिला अपने हैण्डबैग में नाजायज अफीम लेकर सुभाष नगर पुलिया के पास रेलवे के खण्डहर क्वार्टरों के पास से होकर निकलेगी। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ी जा सकती है। इस सूचना पर यकीन कर थाना सुभाष नगर जनपद बरेली से उ0नि0 प्रमोद कुमार मय हमराह महिला आरक्षी प्रीती के साथ मय एस0टी0एफ0 टीम उपरोक्त के साथ रिजवाना बेगम उपरोक्त को मय नाजायज अफीम 02 किलो 900 ग्राम के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ पर अभियुक्ता ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मैं यह बरामदा अफीम झारखण्ड के चतरा से अखिलेश नामक व्यक्ति से लायी हूँ, जिसके पिता का नाम व पता नही जानती हूँ। वो मुझे रोडवेज पर मिलकर दे जाता है। इसे मैं स्थानीय लोगों व पंजाब में करनाल के जसवंत नाम के व्यक्ति को मोटी रकम लेकर बिक्री करती हूँ। वह यह काम कई वर्षों से कर रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना सुभाष नगर, जनपद बरेली पर मु0अ0सं0–130/2025 धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना सुभाष नगर जनपद बरेली द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0–उत्तर प्रदेश एवं एन0सी0आर0 क्षेत्र में अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहे एवं कारतूस आदि बरामद।

दिनांक 25–02–2025 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश एवं एन0सी0आर0 क्षेत्र में अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहे एवं कारतूस आदि बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1– वीरपाल यादव पुत्र नेहरू यादव निवासी खामनी, थाना हाईवे, जनपद मथुरा।

2– लाखन सिंह उर्फ लल्लू पुत्र शिवमंगल सिंह निवासी ग्राम समसपुर, थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा।

3– सचिन पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी ग्राम अगरियाला, थाना शेरगढ जनपद मथुरा हाल पता– कुसुम वाटिका विकास नगर, थाना हाइवे जनपद मथुरा।

गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामदगीः–

1– 02 अदद पिस्टल .32 बोर

2– 01 अदद रिवाल्वर 32 बोर

3– 02 अदद पोनिया 315 बोर

4– 01 अदद पेानिया 12 बोर

5– 02 अदद तमंचा 315 बोर

6– 01 अदद रायफल 315 बोर

7– 02 अदद तमंचा 12 बोर

8– 12 अदद कारतूस जिन्दा 32 बोर

9– 19 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

10– 13 अदद खोखा कारतूस 32 बोर

11– 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

12– 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर

13– 03 अदद मोबाइल फोन मय सिम कार्ड

14– 02 अदद आधार कार्ड

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान–

दिनांक 25–02–2025, समय 22.24 बजे, सोख रोड से महाराजा वैशाली कालोनी की ओर जाने वाले रास्ते से थाना हाईवे जनपद मथुरा क्षेत्र।

विगत कुछ दिनों से एसटीएफ उ0प्र0 को विभिन्न जनपदों में अवैध रूप से असलहा की तस्करी करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ नोएडा एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ यूनिट नोएडा के पर्यवेक्षण में श्री अवध नारायण चौधरी, श्री दीपक कुमार, उप निरीक्षक एस0टी0एफ0 नोएडा यूनिट के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 25—02—2025 को एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम जनपद मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इस दौरान मुखबिर एवं विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट गौतमबुद्धनगर को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग सोख रोड पर भारत पेट्रोल पम्प के पास आने वाले हैं, जिनके पास भारी मात्रा में अवैध हथियार हैं, जो अवैध हथियारों को बड़े स्तर के गैंग को बेचते हैं। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 गौतमबुद्धनगर की टीम द्वारा इस सूचना को थाना हाईवे, जनपद मथुरा को अवगत कराते हुए साथ लेकर गन्तव्य स्थान पर पहॅुचकर घेराबंदी करके उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त वीरपाल यादव ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र लगभग 49 व”ा है और वह इन्टर पास है। बताया कि उसका अपने परिवार वालों से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद रहता था। इसी कारण से उसने काफी समय पहले अस्लाह लिए थे। इसी दौरान करीब दो साल पहले अभियुक्त वीरपाल यादव की मुलाकात कोसी खुर्द मथुरा निवासी भानु पुत्र गिरिराज से हुई थी, जो अभियुक्त वीरपाल यादव के पास के गॉव का रहने वाला है तथा अवैध हथियारों को बेचने का काम करता है। फिर अभियुक्त वीरपाल यादव ने भी अच्छा मुनाफा कमाने के लालच में भानु के साथ मिलकर अवैध हथियारों को बेचने का काम करना शुरू कर दिया था। अभियुक्त वीरपाल यादव ने बताया कि भानु ही उसको बाहर से अवैध हथियार लाकर देता था, जिनको वह भानू द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर सम्बन्धित को दे देता था तथा अपना हिस्सा भानु से ले लेता था। इसके बाद भानु ने अभियुक्त वीरपाल यादव की मुलाकात लाखन एवं सचिन उपरोक्त से कराई थी और फिर भानु ने ही अभियुक्त वीरपाल यादव एवं लाखन तथा सचिन को अवैध हथियारों को सप्लाई करने का काम सौपा था।

ज्ञात हुआ है कि भानु द्वारा ही राजस्थान राज्य से अवैध हथियार की तस्करी कर अभियुक्त वीरपाल यादव एवं लाखन तथा सचिन को दिया जाता था और फिर यह तीनो लोग भानु द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर सम्बन्धित को अवैध हथियारों की सप्लाई कर देते थे, जिसकी एवज में भानु इन तीनों लोगों को हिस्सा दे देता था।

गिरफ्तार किये गये उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के सम्बन्ध में अन्य अपराधिक जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त वीरपाल यादव के विरूद्व निम्न अभियोग का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–

क्र0सं0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	80/05	307/504 भादवि	हाईवे	मथुरा
2	991/18	138(1)(बी) विद्युत अधिनियम	हाईवे	मथुंरा
3	759/19	363/366 भादवि	हाईवे	मथुरा
4	704/20	120बी/193/34 भादवि एवं 66 आईटी एक्ट	हाईवे	मथुरा
5	710/20	120बी/147/469/504(1)(सी)/506 भादवि एवं 3(1)घ/3(1) (द) एससी/ एसटी एक्ट	हाईवे	मथुरा
6	221/23	279/304ए/337/338 भादवि	हाईवे	मथुरा
7	221/23	279/304ए/337/338 भादवि	हाईवे	मथुरा
8	161/25	3/5/25 आर्म्स एक्ट	हाईवे	मथुरा

गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्व थाना हाईवे, जनपद मथुरा पर मु0अ0सं0 161/25 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

————————